न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, किशनगढ़, जिला अजमेर।

दीवानी वाद सं. 71/2021 सी.आई.एस. नं. 601/2014

पंजाब नेशनल बैंक बनाम घेवरचंद व अन्य

दिनांक 16.01.2026

वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित।

इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी व अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी दिनांक 01.11.2025 का संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्रों बाबत उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

(प्रथम प्रार्थना पत्र)– दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद के देहांत के पश्चात् उसके वारिसान श्रीमती मंजू, प्रदीप एवं संदीप द्वारा जवाब दावा पेश किया गया, जिसके पेज नंबर 12 पर विशेष कथन के पैरा सं. 1, 2, 3 व 4 में जो कथन अंकित किए हैं, उसकी हद तक ही प्रतिवादिगण को अपने बयानों का शपथ पत्र पेश करने का अधिकार है। संदीप द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र में पैरा सं. 3, 6, 7, 8, 9 में जो तथ्य अंकित किए गए हैं, वे संदीप वगैरह द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के विशेष कथन में अंकित नहीं है। इस प्रकार साक्ष्य शपथ पत्र में तथ्यों को नए सिरे से अंकित करने की कोशिश की गई है, जो विधि अनुसार सही नहीं है। उक्त तथ्य जवाब दावे में अंकित नहीं होने से कोई तनकीयात भी कायम नहीं की जा सकी है। शपथकर्ता से जिरह करने में वादी को काफी परेशानी का सामना हुआ एवं पर्याप्त जिरह किया जाना संभव नहीं हुआ है। मृतक घेवरचंद के वारिसों को घेवरचंद के द्वारा दिए गए जवाब दावे के विसंगत तथ्य अंकित किए गए हैं, जबकि पूर्व जवाब दावे से विसंगत तथ्यों का अंकन नहीं किया जा सकता है। अतः संदीप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के पैरा सं. 3, 6, 7, 8, 9 को साक्ष्य के शपथ पत्र में से विलोपित करने का निवेदन किया।

"Authenticated Document"

उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी की ओर से **लिखित जवाब** प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 1 के वारिस संदीप उर्फ अंकुर के द्वारा दिनांक 18.08.2025 को साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया था। जिरह हेतु अवसर चाहा गया। तत्पश्चात् दिनांक 27.08.2025 को गवाह से जिरह पूर्ण कर पत्रावली बहस अंतिम में नियत की गई। दो बार बहस अंतिम हेतु अवसर लेने के पश्चात् हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी गवाहान ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है, वह प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु होने के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के पैरा सं. 1 से 25 व विशेष कथन के पैरा सं. 1 से 4 व 4(क) में उल्लेखित है तथा न्यायालय द्वारा उक्त संशोधित जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् दिनांक 06.11.2024 को अतिरिक्त तनकीयात की विरचना भी की गई है। ऐसी स्थिति में वादी का यह कहना गलत है कि कोई अभिवचन नहीं किए गए व उनके आधार पर तनकीयात कायम नहीं की गई हो। गवाह द्वारा जो साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया है, वह उसके अभिवचनों के आधार पर ही पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र निराधार है, जिसे सव्यय खारिज किया जाए।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2025 SAR (Civ.) Deep Nursing Home Vs. Manmeet Singh Mattewal पेश किया।

उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। वादी द्वारा जरिए प्रार्थना पत्र प्रतिवादी गवाह संदीप उर्फ अंकुर द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र में पैरा सं. 3, 6, 7, 8, 9 के संबंध में कोई अभिवचन जवाब दावे में अंकित नहीं होने तथा उनके आधार पर कोई तनकीयात कायम नहीं होने से उन्हें विलोपित करने एवं नया शपथ पत्र पेश किए जाने का आदेश दिए जाने का

निवेदन जरिए प्रार्थना पत्र किया गया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो हस्तगत प्रकरण वादी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रतिवादी घेवरचंद के व सायरमल के विरुद्ध 70,36,329/– रुपए मय ब्याज खर्चा वसूली बाबत पेश किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद की मृत्यु हो जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2024 को प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान संदीप, प्रदीप व श्रीमती मंजू को रिकॉर्ड कर लिया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संदीप के विरुद्ध हुई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किया जाकर पत्रावली तनकीयात हेतु नियत की गई। प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद के वारिसान की ओर से आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत जवाब दावे में वांछित संशोधन करवाने का निवेदन करने पर न्यायालय द्वारा आवश्यक संशोधन जवाब दावे में किए जाने हेतु अनुमति दिनांक 28.08.2024 को प्रदान की गई, जिस पर वादी की ओर से संशोधित जवाब पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2024 को अतिरिक्त विवाद्यक विरचित किए गए व पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। दिनांक 06.08.2025 को वादी साक्ष्य में पूर्व में गवाह होने व एक गवाह के बयान डेफर होने से व गवाह के उपस्थित नहीं आने से पर्याप्त अवसर होना अंकित करते हुए साक्ष्य वादी बंद की गई व पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई। दिनांक 18.08.2025 को साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह संदीप उर्फ अंकुर का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ। दिनांक 25.08.2025 को गवाह के बयान लेखबद्ध किए गए, जो अधूरे रहे। दिनांक 27.08.2025 उक्त गवाह डी.डब्ल्यू. 1 अंकुर उर्फ संदीप के बयान पूर्ण हुए तथा और गवाह पेश नहीं करना चाहने पर दिनांक 17.09.2025 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई व पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई। दिनांक 26.09.2025, दिनांक 08.10.2025 व दिनांक 17.10.2025 को बहस अंतिम हेतु अवसर चाहे गए। दिनांक 01.11.2025 को हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

इस प्रकार से प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद की मृत्यु होने के पश्चात् उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया है, जिनके द्वारा संशोधित जवाब दावा

भी पेश किया गया है। प्रतिवादी गवाह संदीप उर्फ अंकुर द्वारा जो साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया है, वह उसके द्वारा प्रस्तुत संशोधित जवाब दावे के अभिवचनों के आधार पर ही उक्त साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा उक्त गवाह से विस्तृत जिरह की गई है। साक्ष्य से पहले व साक्ष्य के दौरान वादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत भी तीन पेशियों तक पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत होने के पश्चात् हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिससे यह प्रकट है की प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण में विलंब कारित करने के आशय से पेश किया गया है। प्रकरण न्यायालय के लक्षित प्रकरणों में से एक है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने शीघ्र निस्तारण के आदेश दे रखें हैं। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी गवाह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र उसके संशोधित जवाब दावे के विसंगत होना प्रकट नहीं होने से तथा वादी द्वारा उक्त शपथ पत्र के संबंध में विस्तृत जिरह किए जाने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(द्वितीय प्रार्थना पत्र)– दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि दिनांक 11.09.2024 को घेवरचंद के वारिसों द्वारा अतिरिक्त जवाब दावा पेश किया गया, जिसके आधार पर दिनांक 06.11.2024 को तनकी सं. 5 निम्नप्रकार से कायम की गईः–

आया वादी बैंक प्रतिवादी सं. 1 मृतक घेवरचंद के वारिसान से वाद वर्णित रुपये 70,36,329/–रुपये मय ब्याज वसूल करने का अधिकारी नहीं होने से वाद वादी खारिज योग्य है?

इस तनकी का भार प्रतिवादी सं. 1 पर डाला गया। उक्त तनकी गलत तौर पर कायम की गई है। प्रकरण में घेवरचंद के अलावा सायरमल भी प्रतिवादी सं. 2 है। अनुतोष पैरा सं. 26(1) में यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से वादी बैंक को 70,36,329/–रुपये का

भुगतान करे। इस राशि की मांग अकेले घेवरचंद से नहीं की गई है, बल्कि दोनों प्रतिवादीगण के संबंध में की गई है। इसलिए घेवरचंद के संबंध में कुल राशि का वाद खारिज करने की तनकी बनाया जाना उचित नहीं है। वादी बैंक प्रतिवादीगण से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से उक्त राशि वसूल करने की अधिकारी है। ऐसी स्थिति में तनकी सं. 5 गलत आधार पर कायम की गई है। अतः संशोधित तनकीयात बनाए जाने का निवेदन किया है, जो निम्न हैः–

आया प्रतिवादी घेवरचंद के वारिसान को घेवरचंद द्वारा बैंक से प्राप्त राशि प्रदान नहीं की है, तो इसका घेवरचंद के वारिसानों के हक तक क्या प्रभाव होगा?

आया घेवरचंद के वारिसानों को घेवरचंद द्वारा बैंक से उपयोग हेतु प्राप्त की गई राशि वादी बैंक को चुकाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी सं. 1 की ओर से **लिखित जवाब** प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने कथन किया है कि प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण में विलंब कारित करने के आशय से पेश किया गया है। प्रकरण में जो तनकी बनाई गई है, वह उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर सही तौर पर बनाई गई है। वादी द्वारा प्रस्तावित तनकीयात न तो प्रकरण में पेश जवाब दावे के अनुसार है न ही विधि अनुरूप है। पत्रावली बहस अंतिम के प्रक्रम पर है। इस प्रक्रम पर बिना किसी आधार पर तनकीयात में संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जाए।

उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। वादी की ओर से जरिए प्रार्थना पत्र तनकी सं. 5 में संशोधन कर नई तनकी बनाए जाने का निवेदन इस आधार पर किया है की हस्तगत वाद में प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद के अलावा अन्य प्रतिवादी सं. 2 भी है तथा अनुतोष के पैरा सं. 26 में यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से वादी बैंक को 70,36,329/–रुपये का भुगतान करें। इस राशि की मांग अकेले घेवरचंद से

नहीं की गई है, बल्कि दोनों से की गई है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद के संबंध में कुल राशि का वाद खारिज करने की तनकी बनाया जाना उचित नहीं होना बताते हुए तनकी में संशोधन करवाना चाहा है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो वादी बैंक द्वारा हस्तगत वाद वर्णित राशि मय ब्याज खर्च वसूल करने हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद की दौराने विचारण मृत्यु हो जाने से उसके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया है व विधिक वारिसान द्वारा संशोधित जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है, जिस पर वादी की ओर से संशोधित वादपत्र पेश किया गया है। वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित वादपत्र व जवाब दावे के आधार पर दिनांक 06.011.2024 को अतिरिक्त विवाद्यक की विरचना की गई है। चूंकि अतिरिक्त विवाद्यक प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान द्वारा उठाई गई आपत्ति के आधार पर उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर ही विरचित किया गया है, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 पर ही उसे साबित करने का भार रखा गया है कि प्रतिवादी सं. 1 घेवरचंद (मृतक) के वारिसान से वाद वर्णित राशि को वसूल करने का वादी बैंक अधिकारी नहीं होने से वाद वादी खारिज होने योग्य है। वादी ने अनुतोष के आधार पर प्रतिवादीगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः वाद वर्णित राशि वसूल करने के आधार पर प्रतिवादी सं. 2 से भी राशि वसूलने की अधिकारिता होना बताया है। इस संबंध में तनकीयात का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण से संयुक्ततःएवं पृथकतः वाद वर्णित राशि वसूल करने के संबंध में तनकीयात पूर्व में विरचित विवाद्यक दिनांक 26.05.2015 में विवाद्यक सं. 1 के रूप में कायम किया गया है। ऐसी दशा में वादी द्वारा चाहे गए अनुतोष के संबंध में कोई तनकी कायम नहीं की गई हो तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर ही प्रतिवादी सं. 2 के संबंध में प्रस्तुत वाद को भी खारिज किए जाने का कोई उल्लेख विवाद्यकों में किया गया हो यह तथ्य विवाद्यकों के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। उक्त विवाद्यक विरचित करने के पश्चात् उभयपक्षों को स्पष्ट किए गए थे एवं अन्य कोई विवाद्यक नहीं

सुझाने पर ही पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गई थी। प्रकरण में उभयपक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध होकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत होने पर हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वादी के द्वारा जरिए प्रार्थना पत्र जिस विवाद्यक को विवाद्यक सं. 5 से प्रतिस्थापित करना चाहा है, उक्त विवाद्यक पूर्व में विरचित विवाद्यकों के क्षेत्र में ही आता है तथा उसके लिए पूर्व में विवाद्यक सं. 5 को प्रतिस्थापित किया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण वर्तमान में बहस अंतिम के प्रक्रम पर है। वादी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण को विलंबित करने के आशय से पेश किया जाना प्रकट होता है। हस्तगत पत्रावली न्यायालय के लक्षित प्रकरणों में से एक है तथा माननीय उच्च न्यायालय ने शीघ्र निस्तारण के निर्देश दे रखे हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

प्रकरण बहस अंतिम हेतु नियत है। अतः आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से अंतिम बहस की जावे, जिससे माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सके।

पत्रावली बहस अंतिम में दिनांक 23.01.2026 को पेश हो।

GANPAT SINGH SOLANKI
Steno Gr. II
"Authenticated Document"
Digitally signed by GANPAT SINGH SOLANKI
Date: 2026.01.16 15:48:46 +0530